अति–आवश्यक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3/प.क./सेल–3/2018/1192 **भोपाल, दिनांक 30/10/2018**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन–सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषयः– **नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की अन्यत्र संलग्नीकरण न कर उन्हें मूल पदस्थापना स्थान पर ही कार्य संपादित कराये जाने के संबंध में।**

संदर्भः– **संचालनालय का पत्र कमांक कमांक–3/प.क./सेल–3/2018/888 दिनांक 06.09.2018.**

//00//

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें निर्देशित किया गया है कि जिले में कार्यरत समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की पदस्थापना जिस स्वास्थ्य संस्था/स्थान पर की गई है, उनको वही पदस्थ रखा जाकर शासकीय कार्य का संपादन किया जावे। इस संबंध में दिनांक 01.09.2018 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा अवगत कराया है कि आपके द्वारा कुछ ए.एन.एम./नर्सेस को उनके मूल पदस्थापना स्थान से जिला मुख्यालय अथवा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य कराया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा निर्देशानुसार आपके जिले में कार्यरत किसी भी नियमित/संविदा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को उसके मूल पदस्थापना स्थान से किसी अन्य स्वास्थ्य संस्था में संलग्नीकरण न किया जावे। यदि संचालनालय के संज्ञान में यह बात आती है कि आपके द्वारा निर्देशो की अवहेलना करते हुये संलग्नीकरण किया गया है तो आप व्यक्तिगत रूप से इस हेतु उत्तरदायी होगे तथा संलग्न किये गये शासकीय सेवक के वेतन भत्ते पर किये गये भुगतान की वसूली भी आपके वेतन भत्ते से की जाकर आपके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये निर्देश का पालन सुनिश्चित करे।

अपर संचालक
(नर्सिंग एवं परिवार कल्याण)

पृ0 कमांक–3/प.क./सेल–3/2018/1193 **भोपाल, दिनांक 30/10/2018**

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनलाय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त निर्देश का कडाई से पालन सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक बैठक में इसकी नियमित समीक्षा करें।
4. उप संचालक, परिवार कल्याण/नर्सिंग, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक
(नर्सिंग एवं परिवार कल्याण)